

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।**

**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक- 18.11.13

संख्या-3/स्था.रा.भू. शक्ति 2031/2008 430(3)/रा0, श्री धीरेन्द्र कुमार झा, वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 3 "सी" के अंतर्गत बिहार राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के रूप में भू-अर्जन कार्यों के संपादन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4, 5, (ए) 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. नव पदस्थापित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के प्रभार ग्रहण के पश्चात् यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
3. इसके लिए इन्हें कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
4. पूर्व की सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शशि भूषण तिवारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 430(3) /रा0, पटना-15, दिनांक- 18.11.13

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्ता, सीतामढ़ी/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शशि भूषण तिवारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 430(3) /रा0, पटना-15, दिनांक- 18/11/13

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(शशि भूषण तिवारी)

सरकार के संयुक्त सचिव